उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–25/2022

जगलाल बेदिया वगै० बनाम् देवनारायण महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20.12.2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी जगलाल बेदिया, हरि बेदिया, बाबुदास बेदिया, पिता–जगन बेदिया एवं सुनील बेदिया, पिता–जयदेव बेदिया, तीनों सा०–चाड़ी टोला कुस्टेगढ़ा, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–14/2019–20 जगलाल बेदिया वगै० बनाम् देवनारायण महतो वगै० में दिनांक–18.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–चाड़ी, टोला कुस्टेगढ़ा, थाना–गोला थाना नं०–12 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.56 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–चाड़ी, टोला कुस्टेगढ़ा, थाना–गोला के खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.56 ए० भूमि सर्वे खतियान में मिठु बेदिया पे०–चरका बेदिया वो० देवा बेदिया पे० केनु बेदिया वो० बोधन बेदिया वल्द मनसु बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि खतियानी रैयत बोधन बेदिया के पत्नी मोसामत खेदनी के द्वारा ग्राम–चाड़ी, टोला–कुस्टेगढ़ा के खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.56 ए० भूमि उचित मुल्य प्राप्त कर निबंधित केवाला संख्या–334, दिनांक–31.01.1944 के द्वारा चाड़ी निवासी रिझुलाल महतो को बिक्री कर दिया गया रिझुलाल महतो के पुत्र के द्वारा उक्त खाता, प्लॉट की भूमि का मध्ये रकवा–0.26 ए० भूमि निबंधित केवाला संख्या–128, दिनांक–10.02.1996 से ग्राम–चाड़ी, टोला–कुस्टेगढ़ा निवासी गंगाधर महतो एवं पुसन महतो को बिक्री कर दी गई। उन्ही लोगों के द्वारा खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.10 ए० भूमि केवाला सं०–129, दिनांक–08.02.1996 के द्वारा	

विपत महतो एवं छतरधारी महतो को बिक्री कर दिया गया। एवं केवाला सं०–130, दिनांक–10.02.1996 के द्वारा खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.20 ए० भूमि देवनारायण महतो को बिक्री कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त सभी क्रेतागण भूमि पर दखल कब्जा में रहते हुए दाखिल खारिज कराते हुए लगान रसीद निर्गत कराते आ रहे है। उक्त भूमि पर कूप एवं दो कमरों का मकान निर्माण कराया गया। उन्होनें आगे कहा है कि आदिवासी उक्त भूमि से 1944 से बेदखल है। एवं उत्तरवारीगण 1996 से भूमि खरीद कर भूमि पर दखल कर है। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के आदेश को बहाल रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किये है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–चाड़ी, टोला कुस्टेगढ़ा, थाना–गोला के खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.56 ए० भूमि सर्वे खतियान में मिठु बेदिया, देवा बेदिया एवं बोधन बेदिया के नाम से दर्ज है। खाता सं०–60 का कुल रकवा–7.04½ ए० में जमाबंदी मंगलु बेदिया एवं अन्य के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–03/44 पर जमाबंदी कायम है। उन्होनें कहा है कि जब क्रेता रिझुलाल महतो के द्वारा भूमि क्रय की गई तो निम्न न्यायालय के द्वारा उनकी जमाबंदी के संबंध में विचार करने मे असफल रहा। उसी प्रकार जब अपीलार्थी के द्वारा भूमि क्रय की गई तो उनके जमाबंदी किसके जमाबंदी से घट कर कायम हुई, इस संबंध में भी निम्न न्यायालय द्वारा विचार करने में असफल रहा। उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी के द्वारा गलत दस्तावेज एवं अवैध जमाबंदी कायम संबंधी कागजात प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किये है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा अपीलार्थी के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जा सकता है।

निम्न न्यायालय अभिलेख संलग्न अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–चाड़ी, टोला–कुस्टेगढ़ा थाना–गोला के खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.56 ए० भूमि सर्वे खतियान में मिठु बेदिया पे०–चरका बेदिया वो० देवा बेदिया पे०–कीनु बेदिया वो० बोधन बेदिया वल्द मनसु बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। खतियान रैयत द्वारा डीड सं०–334, दिनांक–31.01.1944 से भूमि गैर आदिवासी को हस्तांतरण किये है। बेदखली की अवधि लगभग–76 वर्ष है। वर्त्तमान में पंजी–II के पृष्ठ संख्या–03/44 पर मंगलु बेदिया पिता–मीठु बेदिया के नाम से खाता सं०–60 कुल रकवा–7.04½ ए० की जमाबंदी कायम है। भूमि आदिवासी खाते की है। तदनुसार मामला भू–वापसी का बनता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं सरकारी अधिवक्ता अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख के

अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–चाड़ी, टोला–कुस्टेगढ़ा, थाना–गोला के खाता सं०–60 प्लॉट न०–839 रकवा–0.56 ए० भूमि सर्वे खतियान में मीठु बेदिया पे०–चरका बेदिया वो० देवा बेदिया पे०–किनु बेदिया वो० बोधन बेदिया वल्द मनसु बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि खतियानी रैयत द्वारा केवाला से भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी को 1944 में किया गया है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि उक्त भूमि का हस्तांतरण के पश्चात् गैर आदिवासी की जमाबंदी कायम हुई अथवा नहीं। अपीलार्थियों के अनुसार उन्हें उक्त भूमि 1996 केवाला के द्वारा प्राप्त हुआ एवं दाखिल खारिज से जमाबंदी कायम हुई। लेकिन अपीलार्थी अथवा अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थियों की कायम जमाबंदी पूर्व में किसके जमांबदी से खारिज हो कर कायम हुई है। क्योंकि अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन के अनुसार आदिवासी रैयत मंगलु बेदिया एवं अन्य की जमाबंदी में कुल रकवा–7.04½ ए० भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–03/44 इन्द्राज है। अर्थात एक ही भूमि की जमाबंदी दोनों पक्षों के नाम से कायम है। लेकिन अपीलार्थी की कायम जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है। अर्थात छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(A) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–14/2019–20 जगलाल बेदिया वगै० बनाम् देवनारायण महतो एवं अन्य में दिनांक–18.11.2021 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
20.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
20.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.02.08 11:44:06 +05:30
Location: 192.168.0.3